

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 52 OF 2026**

IN THE MATTER OF:

In Re: News Item titled "Noida CEO Removed CM orders SIT probe into techie's Drowning" appearing in The Times of India dated 20.01.2026

INDEX

S. No.	Particular	Page No.
1.	Affidavit-in-Reply on behalf of Respondent No.1 (New Okhla Industrial Development Authority)	
2.	Annexure R-1 Copy of letter dated 28.08.2015	
3.	Annexure R-2 Copy of letter dated 03.02.2016	
4.	Annexure R-3 Copy of letter dated 14.02.2017	
5.	Annexure R-4 (Colly) Copy of letter dated 18.05.2018 and 07.09.2018	
6.	Annexure R-5 (Colly) Copy of letter dated 28.02.2019 and 10.06.2019	
7.	Annexure R-6 Copy of letter dated 27.06.2019	
8.	Annexure R-7 (Colly)	

	Copy of letter dated 09.09.2020 and 29.10.2020	
9.	Annexure R-8 Copy of letter dated 30.09.2020	
10.	Annexure R-9 Copy of letter dated 25.04.2023	
11.	Annexure R-10 Copy of letter dated 09.10.2023	
12.	Annexure R-11 Copy of letter dated 25.08.2025	
13.	Annexure R-12 Copy of letter dated 05.12.2025	
14.	Annexure R-13 Copy of letter dated 30.01.2026	
15.	Annexure R-14 (Colly) Copy of letter dated 09.02.2026 and 13.02.2026	

New Delhi

Date: 21.07.2026

THROUGH



(RACHIT MITTAL)

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT NO. 1

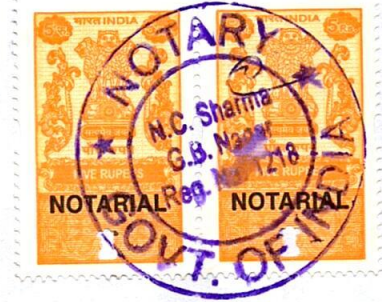
RM Law Chambers

MZ- 24 & 25, Ansal Fortune Arcade,

Sector 18, Noida, U.P. – 201 301

Contact No.: 0120- 4998794

EMAIL: office@rmlawchambers.in



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 52 OF 2026**

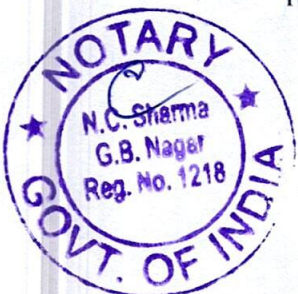
IN THE MATTER OF:

In Re: News Item titled "Noida CEO Removed CM orders SIT probe into techie's Drowning" appearing in The Times of India dated 20.01.2026

**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.1
(NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT
AUTHORITY)**

I, VISHWAS KUMAR TYAGI aged about 58 years, S/o SORAJ SINGH TYAGI, Presently posted as SENIOR MANAGER, Main Administrative Building, Sector 6, Noida, Gautam Budh Nagar do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I, the deponent is duly authorized and competent to swear the present affidavit on behalf of Respondent No.1 and is well acquainted with the facts and circumstances of the present case from the official records maintained by the Authority.
2. That the present Original Application has been registered by this Hon'ble Tribunal on its own motion on the basis of a news item published in The Times of India dated 20.01.2026 titled



[Handwritten signature]

"Noida CEO Removed CM orders SIT probe into techie's Drowning" concerning the unfortunate death of an individual due to drowning in a waterlogged area situated in Sector-150, Noida.

3. That at the outset, Respondent No.1 expresses its deep regret over the unfortunate incident and conveys its sincere condolences to the family of the deceased. The present affidavit is confined to placing before this Hon'ble Tribunal the factual position emerging from the official records maintained by Respondent No.1 in relation to the storm water regulator project proposed for Sector-150.
4. That it is respectfully submitted, the requirement for construction of a permanent storm water regulator for Sector-150 had been identified much prior to the unfortunate incident, and Respondent No.1 had initiated the proposal through the Irrigation & Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh, which is the competent technical department for planning and execution of such hydraulic infrastructure.
5. That the project involved planning and construction of a hydraulic regulator for regulated discharge of storm water into the Hindon River system. Such infrastructure necessarily requires hydrological investigations, hydraulic design, preparation of detailed project reports, engineering drawings, structural design, technical vetting, administrative approvals and financial sanctions before execution.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma".

6. That the proposal underwent technical refinements from time to time owing to changes in the drainage pattern, enhancement of the catchment area and revision of the hydraulic parameters. The factual chronology demonstrating the progress of the proposal is set out hereinafter.

BRIEF FACTS

7. That Respondent No.1 is a statutory authority constituted under the provisions of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, entrusted with the planned development of the notified industrial area by providing roads, drainage systems, sewerage, water supply and other civic infrastructure.
8. That Sector-150 has witnessed significant urban development over the years. With the expansion of residential, commercial and institutional development, the requirement for a permanent storm water disposal mechanism also increased. Accordingly, Respondent No.1 initiated the process for construction of a regulator for disposal of storm water into the Hindon River through the competent technical department.
9. That Since the proposed regulator constituted a specialised hydraulic structure, the planning, survey, design and execution of the project were entrusted to the Irrigation & Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh, which possesses the technical expertise for execution of such works.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma".

10. That Respondent No.1 extended the necessary administrative support and financial assistance for preparation of the survey, design and revised engineering proposals from time to time, while examining the proposals submitted by the Irrigation Department in accordance with the applicable statutory and administrative procedures.
11. That during the course of development of the surrounding sectors, the drainage pattern underwent changes, necessitating revision of the hydraulic parameters of the proposed regulator. Consequently, the project required redesign and preparation of revised engineering drawings and estimates so that the completed infrastructure would adequately cater to the revised drainage requirements.
12. That immediately after the unfortunate incident, Respondent No.1 extended full cooperation to the State Government, District Administration and all concerned authorities by making available the relevant records and participating in the review process concerning the proposed drainage infrastructure.
13. That the chronology set out hereinbelow is based upon the official correspondence exchanged between Respondent No.1 and the Irrigation & Water Resources Department and reflects the progress of the project from its inception till the grant of administrative approval.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma", written over the notary seal.

14. That a concise chronology of the regulator project is reproduced hereinbelow for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

CHRONOLOGY OF EVENTS

15. That in order to address the storm water drainage requirements of Sector-150, Noida, Respondent No.1, after identifying the necessity for a permanent storm water disposal mechanism, requested the Irrigation & Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh, to undertake the planning and construction of a regulator. Accordingly, Respondent No.1, vide Letter No. 563 dated 28.08.2015, requested the Irrigation Department to construct a regulator having a proposed discharge capacity of 16.66 cumecs for disposal of storm water from Sector-150. A copy of letter dated 28.08.2015 is annexed hereto and marked as **Annexure R-1**
16. That pursuant thereto, Respondent No.1 deposited a sum of ₹15,00,000/- with the Irrigation & Water Resources Department vide Letter No. 1198 dated 03.02.2016 towards preparation of the survey, investigation, hydraulic studies and engineering design of the proposed regulator, thereby enabling the technical exercise to commence. A copy of letter dated 03.02.2016 is annexed hereto and marked as **Annexure R-2**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma".

17. That upon completion of the survey and preparation of the preliminary design, the Irrigation & Water Resources Department prepared the Detailed Project Report and forwarded the proposal to Respondent No.1 vide Letter No. 372 dated 14.02.2017 for administrative consideration and further processing in accordance with the applicable procedure. A copy of letter dated 14.02.2017 is annexed hereto and marked as **Annexure R-3**
18. That during examination of the proposal, certain technical aspects relating to the design, alignment and implementation of the regulator required further deliberation. Consequently, the proposal underwent technical review in consultation with the Irrigation Department so as to ensure that the proposed structure would effectively cater to the drainage requirements of the area.
19. That thereafter, the Irrigation Department submitted a revised estimate amounting to ₹1,836.98 lakh vide Letter No. 1581 dated 18.05.2018. Upon consideration of the revised proposal and the technical observations exchanged between the concerned departments, a further revised estimate amounting to ₹1,837.84 lakh was submitted by the Irrigation Department vide Letter No. 2966 dated 07.09.2018 incorporating the modifications considered necessary at that stage. A copy of letter dated 18.05.2018 and 07.09.2018 is annexed hereto and marked as **Annexure R-4 (colly)**



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the notary seal.

20. That the Respondent No. 1 vide letter 07.01.2019 requested the Irrigation Department to provide for an alternative of regulator, however, no response was received and there after the Respondent No. 1 again vide letter dated 28.02.2019 and letter dated 10.06.2019 reminded the Irrigation Department to provide an alternative of regulator for disposal of rain water accumulating in section 144, 145, 146, 147, 148 and 148A. A copy of letter dated 28.02.2019 and 10.06.2019 are annexed hereto and marked as **Annexure R-5 (Colly)**
21. That the Irrigation department vide letter dated 27.06.2019 informed the Respondent No. 1 that there is no alternative of the regulator for disposal of rain water. A copy of letter dated 27.06.2019 is annexed hereto and marked as **Annexure R-6**
22. That during the course of technical deliberations, the feasibility of alternative locations for construction of the regulator was also examined. Upon evaluation of the available options, it was concluded that the proposed regulator continued to remain the appropriate engineering solution for effective storm water disposal from the area, whereafter the proposal was further refined in accordance with the technical discussions held between the concerned departments.
23. That the Respondent No. 1 vide letter dated 09.09.2020 sought information regarding functions of the regulator. Thereafter, the Respondent No. 1 vide letter dated 29.10.2020 requested the Irrigation Department to provide approximate



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma".

- cost of work. A copy of letter dated 09.09.2020 and 29.10.2020 are annexed hereto and marked as **Annexure R-7**
24. Thereafter, the Irrigation Department prepared a further revised estimate amounting to ₹2,525.67 lakh, which was forwarded to Respondent No.1 vide Letter dated 13.11.2020 for administrative examination. A copy of letter dated 30.09.2020 is annexed hereto and marked as **Annexure R-8**
25. That in compliance of order dated 03.08.2022 passed by this Hon'ble Tribunal in OA No. 1002/2018, the Government of Uttar Pradesh vide letter dated 12.12.2022 instructed that the rain water flowing through sewage cannot be discharged into Hindon River. A copy of letter dated 20.04.2023 is annexed hereto and marked as **Annexure R-9**.
26. That the Respondent No. 1 and Irrigation Department went on several deliberation and discussion on construction/instalment of regulator and subsequently, on 04.10.2023, officers of Respondent No.1 and the Irrigation & Water Resources Department jointly inspected the project site to assess the prevailing field conditions and review the proposed hydraulic design in light of the existing drainage pattern.
27. That during the joint inspection, it was observed that, with the development of additional sectors over the intervening period, storm water from those sectors had also become connected to the proposed drainage channel. Consequently, the hydraulic



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Shama".

parameters originally adopted for the regulator no longer reflected the prevailing drainage requirements.

28. That in view of the revised field conditions, it became technically necessary to redesign the regulator by enhancing its discharge capacity from 16.66 cumecs to 43.79 cumecs, together with corresponding revisions to the hydraulic calculations, structural drawings and engineering specifications.

29. That it was further proposed that the revised design should incorporate hydraulic/pneumatic gates to facilitate efficient regulation of storm water discharge. In addition, the revised design and drawings were proposed to be subjected to technical vetting by Indian Institute of Technology, Delhi (IIT Delhi) so as to ensure conformity with accepted engineering standards.

30. That consequent upon the proposed redesign, the Irrigation Department sought release of an additional amount of ₹30,00,000/- vide Letter No. 2281 dated 09.10.2023 for carrying out the revised survey, redesign and preparation of updated estimates. Respondent No.1 thereafter released the requisite amount of ₹30,00,000/- vide Letter No. 1803 dated 24.04.2025, thereby facilitating the revised technical exercise. A copy of letter dated 09.10.2023 is annexed hereto and marked as Annexure R-10

31. That based upon the revised hydraulic parameters and enhanced discharge requirement, the Irrigation Department



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma".

prepared a fresh Detailed Project Report together with the revised estimate and submitted the same to Respondent No.1 vide Letter No. 3094 dated 25.08.2025 for administrative examination and processing. A copy of letter dated 25.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R-11**

32. That the Respondent No. 1 vide letter dated 05.12.2025 informed to the Irrigation Department that sanctioning of the project cost of around Rs. 26.31 crores are already in final stage and requested to attend a meeting for approval. A copy of letter dated 05.12.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R-12**

33. That the revised proposal reflected substantial modifications in the engineering design and project cost consequent upon enhancement of the discharge capacity, redesign of the regulator and incorporation of updated technical specifications. The proposal was accordingly examined by Respondent No.1 in accordance with the applicable administrative procedures governing public infrastructure projects.

34. That upon completion of the requisite administrative process, Respondent No.1 accorded administrative approval to the revised proposal vide Letter No. 3361 dated 30.01.2026, thereby enabling the proposal to be processed further by the Irrigation & Water Resources Department for obtaining financial sanction and other approvals required under the



applicable Government procedures. A copy of letter dated 30.01.2026 is annexed hereto and marked as **Annexure R-13**

35. That thereafter, the Irrigation Department submitted the revised estimate amounting to ₹3,139.66 lakh vide Letter No. 616 dated 09.02.2026 for financial sanction and subsequently forwarded the proposal vide Letter No. 665 dated 13.02.2026 to the Engineer-in-Chief for obtaining the necessary approvals in accordance with the prescribed departmental procedure. A copy of letter dated 09.02.2026 and 13.02.2026 are annexed hereto and marked as **Annexure R-14 (Colly)**

36. That the chronology set out hereinabove demonstrates that the proposal for construction of the regulator remained under continuous technical evaluation and administrative processing, necessitated by evolving site conditions, enhancement of the drainage catchment, revision of hydraulic parameters and redesign of the proposed structure.

37. That the official records further demonstrate continuous coordination between Respondent No.1 and the Irrigation & Water Resources Department through exchange of correspondence, release of funds for surveys and redesign, joint inspections, revision of engineering proposals and processing of the project in accordance with the applicable statutory and administrative framework.

38. The aforesaid chronology is based upon the official records maintained by Respondent No.1 and the documents received from the Irrigation & Water Resources Department, copies



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma", with a horizontal line extending to the right.

whereof are being placed on record along with the present Affidavit-in-Reply for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

TECHNICAL BACKGROUND OF THE REGULATOR PROJECT

39. That it is respectfully submitted that the proposed regulator is a major hydraulic infrastructure intended to facilitate regulated discharge of storm water from Sector-150 and the adjoining developed areas into the Hindon River system. The planning and execution of such a structure necessarily involve hydrological investigations, hydraulic modelling, structural analysis, engineering design, preparation of detailed drawings and compliance with the applicable technical standards.
40. That during the course of development of the surrounding sectors, the drainage pattern underwent significant changes with additional catchment areas contributing storm water to the proposed drainage channel. Consequently, the hydraulic parameters on which the regulator had originally been conceived required reassessment so that the proposed infrastructure could adequately cater to the revised drainage requirements.
41. That the revised engineering exercise necessitated preparation of fresh surveys, redesign of the hydraulic structure, revision of engineering drawings and updating of cost estimates. The proposal also involved consideration of improved operational



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma".

mechanisms for regulation of storm water discharge and technical vetting of the revised design by a competent technical institution to ensure structural adequacy and operational safety.

42. That such technical refinements are inherent in the planning and execution of major public infrastructure projects and are undertaken to ensure that the final design reflects the prevailing field conditions and engineering requirements. The redesign of the regulator was therefore undertaken with the objective of providing an effective and sustainable storm water management solution for the area.

ROLE OF RESPONDENT NO.1

43. That the Respondent No.1 is a statutory authority constituted under the provisions of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 and is responsible for planned development of the notified industrial area through creation of civic infrastructure and public utilities in accordance with the applicable statutory framework.
44. That in discharge of its statutory functions, Respondent No.1 identified the requirement for establishment of a permanent storm water regulator and initiated the proposal through the competent technical department. Respondent No.1 thereafter extended administrative assistance and financial support for preparation of the survey, design and revised engineering proposals, while examining the proposals submitted by the



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.C. Sharma".

executing department in accordance with the applicable Government procedures.

45. That the Respondent No.1 remained in continuous coordination with the Irrigation & Water Resources Department throughout the planning process and participated in the technical consultations and site inspections undertaken for development of the project. The proposal was processed through the prescribed administrative framework keeping in view the technical requirements of the project and the applicable financial procedures governing public works.
46. That the Respondent No.1 has placed before this Hon'ble Tribunal the relevant correspondence and official records pertaining to the regulator project so as to present the complete factual background relating to the planning and processing of the proposed infrastructure.

STEPS TAKEN AFTER THE INCIDENT

47. Since the Respondent No. 1 is already working on the project for instalment of regulator in section 148 and on the estimated cost of work, the Respondent No. 1 was already approved, Respondent No.1 extended full cooperation to the State Government, the District Administration and all other concerned authorities in relation to the enquiries and review undertaken with respect to the incident.
48. That the Respondent No.1 made available the relevant records pertaining to the regulator project and coordinated with the



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N. Sharma", written over a horizontal line.

concerned departments in order to facilitate examination of the existing drainage infrastructure and implementation of appropriate remedial measures.

49. Further the Respondent No. 1 has sanctioned That Respondent No.1 has continued to cooperate with all authorities in connection with the present proceedings and remains committed to extending all necessary assistance for strengthening the storm water drainage infrastructure in accordance with the applicable statutory framework.

50. That the facts stated hereinabove demonstrate that the requirement for construction of a permanent storm water regulator had been identified well before the unfortunate incident and that the proposal was processed through successive stages of technical evaluation and administrative consideration in accordance with the applicable procedures. The official records further demonstrate continuous coordination between Respondent No.1 and the Irrigation & Water Resources Department in relation to planning, revision and processing of the project.

That the Respondent No.1 respectfully submits the present Affidavit-in-Reply for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal along with the documents relied upon herein.



ATTESTED

[Signature]
Naveen Chandra Sharma
Advocate Notary
Dadri Noida (G.B. Nagar)

DEPONENT

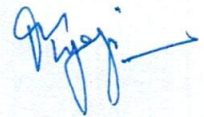
21 JUL 2026

[Signature]

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 21 day of July, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT



ATTESTED



Naveen Chandra Sharma
Advocate Notary
Dadri Noida (G.B. Nagar)

21 JUL 2026

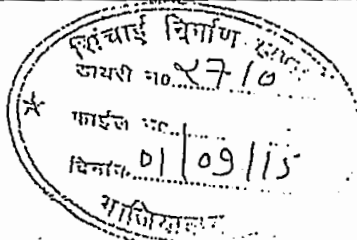
श्री अखिला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन,
सैक्टर-6, नौएडा,
शिला गौतमबुद्ध नगर - 201301

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT
AUTHORITY
Main Administrative Building,
Sector-VI, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar - 201301

NOIDA

कार्यालय मुख्य परियोजना अभियन्ता, सैक्टर-6, नौएडा

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई विभाग, मेरठ
जेल चुंगी रोड, विक्टोरिया पार्क
मेरठ, उत्तर प्रदेश



पत्रांक: नौएडा/गु0प0अ0/2015/ 56,
दिनांक: 28-08-15

विषय:- नवीन अखिला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150 का बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

कृपया संज्ञान में लाना है कि नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे एवं हिण्डन, यमुना बांध के मध्य भूमि पर स्पोर्ट सिटी सैक्टर-150 का विकास नौएडा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस सैक्टर का भूमितल निम्नस्थ होने के कारण बरसाती पानी का प्रवाह हिण्डन नदी में ही किया जाना समाय है, जो एक्सप्रेस-वे मार्ग के किनारे से 0.520 किमी० दूरी में यथास्थान से हिण्डन बांध को क्रॉस करना होगा। उपरोक्त एकल सम्भावना के अतिरिक्त गुरुत्व प्रवाह के लिये अन्य विकल्प नहीं है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि सैक्टर-150 व आस-पास के बरसाती पानी के स्राव को हिण्डन नदी में प्रवाह किये जाने के लिये हिण्डन बांध क्रॉस करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति की दशा में यह भी अनुरोध है कि बांध के पास यदि ग्रेटलेटर बनाये जाने की आवश्यकता हो तो कार्य का प्राक्कलन भी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे प्राक्कलानुसार सिंचाई विभाग के पक्ष में धनराशि अवमुक्त करने हेतु निर्णय लिया जा सके।

Shiv Kumar
जी.के.

प्रतिलिपि:-

1. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. परियोजना अभियन्ता, वर्क सर्किल-10, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधीक्षण अभियन्ता (प्रथम सर्किल) सिंचाई विभाग मेरठ को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कविनगर, गाजियाबाद, को स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

मुख्य परियोजना अभियन्ता
नौएडा

Shiv Kumar
जी.के.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
गाजियाबाद

मुख्य परियोजना अभियन्ता
नौएडा

पत्रांक 1745

प्रतिलिपि आचार्यक अभियन्ता-वांछुर्ग सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि प्रस्तावित प्रकरण पर विचारित कार्य प्रकलन का निरीक्षण कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

आचार्यक अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण.

कृषि विकास परियोजना अभियन्ता, वृक सर्किल-10, नौएडा

पत्रांक नौएडा/परियोजना-10/2015/563 दिनांक 28.08.2015 1198
दिनांक 03-02-16

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
कवि नगर गाजियाबाद

विषय:- नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने कार्यालय पत्र सं० 1865/सि.नि.ख.गा.बाद/अनापत्ति पत्र दिनांक 21.09.2015 एवं पत्र सं० 2412/सि.नि.ख.गा.बाद/अनापत्ति पत्र दिनांक 14.12.2015 का सहान लेने का कष्ट करें जिसमें उपरोक्त कार्य हेतु आप द्वारा ₹० 15.00 लाख की मांग की गई थी। मुख्य परियोजना अभियन्ता नौएडा के पत्र सं० नौएडा/पु०प०अ०/2015/563 दिनांक 28.08.2015 के परिपेक्ष में सर्वेक्षण डिजाईन एवं ड्राईंग आदि के कार्य हेतु धनराशि ₹० 15.00 लाख पर टैक्स काटते हुए ₹० 13,50,000.00 का पत्र नेशनल बैंक का चेक सं० 210642 दिनांक 01.02.2016 पत्र के साथ संलग्न है। कृपया हिण्डन बाध पर बरसाती पानी के प्रवाह हेतु रेगुलेटर बनाये जाने एवं हिण्डन बाध काट करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें:-

आपके पत्र दिनांक 21.09.2015 के परिपेक्ष में मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है:-

1. नालों का डिस्चार्ज - 16.66 क्यूसेक (क्यूसेक) ✓
 2. नालों का सैक्शन/लम्ब छिन्नक - संलग्न है।
 3. नालों का स्लोप एवं बन्धे के पास नालों के डैंड लेविल आदि - सैक्शन संलग्न है।
 4. प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत प्लान - संलग्न है।
- संलग्नक:- 1. चेक सं० 210642
2. बाधचर (विवरण सहित) छायाप्रति।
3. उपरोक्तानुसार विवरण एवं विस्तृत प्लान (1 से 4 तक)।

(एम०सी० त्यागी)
परियोजना अभियन्ता
वृ०स०-10, नौएडा

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता नौएडा महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल गाजियाबाद।
3. सहायक परियोजना अभियन्ता (एम) वर्क सर्किल-10, नौएडा।
4. खण्डीय लेखाकार, वर्क सर्किल-10, नौएडा।
5. सम्यन्धित अवर अभियन्ता।

परियोजना अभियन्ता
वृ०स०-10, नौएडा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक : 372 / सिनिखगा /

दिनांक : 14/2/2017

विषय : नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सेक्टर-150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक-नौएडा/प.स.-व.स.-10/16/695 दि. 18.10.2016

मुख्य परियोजना अभियन्ता, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

अवगत कराना है कि आपके द्वारा विकसित सेक्टर-150 का भूमितल निम्नस्थ होने के कारण उक्त सेक्टर व आस-पास के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने (एकल सम्भावना) हेतु हिण्डन यमुना दोआब बंध को क्रास कर बंध के पास रेगुलेटर बनाये जाने का अनुरोध आपके द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् एक प्रख्यात एजेन्सी के माध्यम से रेगुलेटर का डिजाइन (IIT, Delhi द्वारा vetted) एक प्राक्कलन "Project estimate for Construction of Regulator at Km. 12.000 on Hindon Yamuna Doab Bund for Outlet of Storm Water for Sector-150, Noida, in Distt. Gautambudh Nagar" तैयार कराया गया, जिसकी अनुमानित लागत रु. 2083.31 लाख है। परियोजना में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है।

संलग्न परियोजना वित्त पोषण की सैद्धांतिक सहमति हेतु प्रेषित की जा रही है, ताकि परियोजना को उच्चधिकारियों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

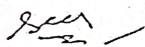
संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

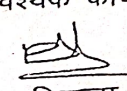
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : 372 / सिनिखगा / तदिनांक 14/2/17

प्रतिलिपि

- 1 मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला, नई दिल्ली-110025 को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि परियोजना प्रबन्धक, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Annexure R-4 (Colly)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक : /सिनिखगा/ दिनांक : / /2018
विषय : नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सेक्टर-150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ : आपका पत्रांक-नौएडा/परि.अभि.(व.स.-10)/2018/2459 दि० 15.02.2018 एवं नौएडा/परि.अभि.(व.स.-10)/2018/25 दि० 05.04.2018

परियोजना अभियन्ता, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें कुछ बिन्दुओं पर कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :-

- अ)1 आगणन में प्रयुक्त मदों में से जो मद डी.एस.आर.-2013 में उपलब्ध है। उन मदों की भाषा डी.एस.आर.-2013 से ही ली गयी है। अन्य मदों की भाषा सिंचाई विभाग में प्रचलित एस.ओ.आर. से ली गयी है।
- 2 आगणन में प्रयुक्त मदों में से जिन मदों में सामग्रियां एवं लेबर इत्यादि की दरें डी.एस.आर.-2013 में उपलब्ध हैं। उन मदों में सामग्रियां एवं लेबर इत्यादि की दरें डी.एस.आर.-2013 से ही ली गयी हैं। अन्य मदों में सामग्रियां एवं लेबर इत्यादि की दरें सिंचाई विभाग में प्रचलित एस.ओ.आर. से ली गयी हैं।
- 3 आगणन में जी.एस.टी. का प्राविधान कर दिया गया है।
- 4 आगणन में कुटेशन की मूल प्रति ही पूर्व में आपको उपलब्ध करायी गयी परियोजना की मूल कापी में लगायी गयी है, जोकि भौतिक रूप से आपके कार्यालय में दिखा दी गई है।
- 5 आगणन में भिट्टी भराव के मद में रायल्टी प्रचलित दरों के अनुसार ही ली गयी है।
- ब)1 प्रस्तावित परियोजना में पम्पिंग व्यवस्था हेतु स्टाफ के लिये हटमेन्ट का प्राविधान कर दिया गया है।

अतः आप द्वारा सन्दर्भित बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित परियोजना रु. 1836.98 लाख की तैयार कर वित्त प्रोषण की सैद्धांतिक सहमति हेतु पुनः प्रेषित है।
संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : 1581 /सिनिखगा/ तदिनांक : 18-05-18

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला, नई दिल्ली-110025 को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि परियोजना प्रबन्धक, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद।

प्रेषित,

उप महाप्रबन्धक (वर्क सर्किल-10) 8-09-18
नवीन ओखला औधौगिक विकास प्राधिकरण,
प्रशासनिक भवन, सै0-6, नौएडा।

पत्रांक : 2966/सिनिखगा/

दिनांक : 07-09-18

विषय : नवीन ओखला औधौगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150
के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक-नौएडा/व0प्र0(व0स0-10)/2018/777 दिनांक 21.08.18

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे, जिसमें आपके द्वारा उक्त विषयक परियोजना को प्राक्कलन में प्रयुक्त डी0एस0आर0-2013 की दरों के स्थान पर डी0एस0आर0-2016 की दरों पर संशोधित कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त विषयक परियोजना डी0एस0आर0-2016 की दरों के आधार पर संशोधित कर तकनीकी अधिकारी की संस्तुति सहित धनराशि रु0 1837.84 लाख की आपको सैद्धांतिक सहमति एवं वित्त पोषण के लिये प्रेषित है।

सलग्नक:- उपरोक्तानुसार

0/

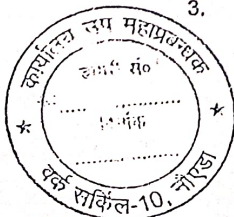
अधिशारी अभियन्ता

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : 2966/सिनिखग/तदिनांक : 07-09-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता(यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन, ओखला।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
3. सहायक अभियन्ता (चतुर्थ), सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है। कि उप महाप्रबन्धक (वर्क सर्किल-10) नवीन ओखला औधौगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करे।



अधिशारी अभियन्ता

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास
प्राधिकरण
मुख्य प्रभासनिक भवन,
सैक्टर-6, नौएडा,
जिला गौतमबुद्ध नगर - 201301

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT
AUTHORITY
Main Administrative Building,
Sector- VI, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar - 201301

NOIDA

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, सैक्टर-6, नौएडा

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड-गाजियाबाद
शास्त्री नगर, थाना-कवि नगर के सामने
गाजियाबाद, उ०प्र०



पत्रांक : नौएडा/वरिष्ठप्रब०(व०स-10)/2019/1685
दिनांक : 28/2/19

विषय: नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकासाधीन सैक्टर-144, 145, 146, 147, 148, 148ए के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ: आपका पत्रांक 204/सि०नि०ख०गा०, दिनांक 17.01.2019

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सैक्टर-144, 145, 146, 147, 148, 148ए के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने की कार्ययोजना के लिये प्रारम्भिक सर्वेक्षण, डिजाईन एवं ड्राईंग आदि कार्य हेतु धनराशि रु० 20.00 लाख की मांग की गई है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 07.01.2019 को आपके साथ संयुक्त रूप से किये गये स्थल निरीक्षण में यह निर्णय लिया गया था कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा हिण्डन थमुना दोआब बंध पर रेगुलेटर-निर्माण सम्बन्धित कार्यवाही करेगा तथा नौएडा प्राधिकरण द्वारा रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम में नाले निर्माण का कार्य कराया जायेगा। तदपश्चात् महाप्रबन्धक (के) महोदय के कार्यालय कक्ष में उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे हुई वार्ता में उपरोक्त रेगुलेटर के स्थान पर अन्य विकल्पों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जो आज दिनांक 27.02.2019 तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि सैक्टर-144, 145, 146, 147, 148, 148ए के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु रेगुलेटर के स्थान पर अन्य विकल्प की कार्ययोजना यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (के) महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जामिया नगर थाना के सामने, ओखला, नई दिल्ली-110025 को सादर सूचनार्थ।
3. प्रबन्धक (ए), वर्क सर्किल-10 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री नेम सिंह, अवर अभियन्ता (संविदा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय प्रमुख/अधीनस्थ/सहायक प्रमुख/संयोजक/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक

687

दिनांक 28/2/19

स्थान: नौएडा

प्रमुख/अधीनस्थ/सहायक प्रमुख/संयोजक/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक

प्रमुख/अधीनस्थ/सहायक प्रमुख/संयोजक/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक

प्रमुख/अधीनस्थ/सहायक प्रमुख/संयोजक/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक

प्रमुख/अधीनस्थ/सहायक प्रमुख/संयोजक/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक/सहायक प्रमुख/सहायक संयोजक

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, सेक्टर-6, नौएडा

पत्रांक: नौएडा/व.प्र.(व.स.-10)/2019/2122
दिनांक: 10-6-19

अनुस्मारक-प्रथम

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
गाजियाबाद
(शास्त्रीनगर, थाना कविनगर के सामने)
गाजियाबाद, २०२०

विषय:-नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकासाधीन सैक्टर-144, 145, 146, 147, 148-ब-148ए के सामने बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक नौएडा/व.प्र.(व.स.-10)/2019/1685 दिनांक 28.02.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे रेगुलेटर के स्थान पर अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज दिनांक 07.06.2019 तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि नौएडा ग्रेटर नौएडा के एक्सप्रेस-वे के समान्तर सैक्टर-144 से 148 तक स्थित नाले के पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु प्रस्तावित रेगुलेटर के स्थान पर अन्य विकल्प पर विचार करते हुए प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

६ जुलै १९
 (एस० पी० सिंह)
 वरिष्ठ प्रबन्धक
 वर्क सर्किल-१०, नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (कै) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (यमुना), कैनाल कालोनी थाना जामिया नगर के सामने, ओखला नई दिल्ली-110025
3. प्रबन्धक (ए) वर्क सर्किल-10, नौएडा।
4. श्री नेम सिंह, अवर अभियन्ता (संविदा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडा

कायालय अधिपती अभियन्ता
सिंहगढ़ निर्माण रजः कारिधायक

दिनांक- २/०६ /दिनांक/ दिनांक 18-06-19
 प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाओं पर अवगत कराये जाते हैं।
 1- अनाथ बालिका- १० दिवसों के लिए, मासिकपत्र।
 2- अनाथ बालिका- १० दिवसों के लिए, मासिकपत्र।
 3- अनाथ बालिका- १० दिवसों के लिए, मासिकपत्र।

संस्कृत विद्या

[Signature]



225
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
प्रेषित,
वरिष्ठ प्रबन्धक,
वर्क सर्किल-10,
नवीन ओखला

प्रेषक,
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित,
वरिष्ठ प्रबन्धक,
वर्क सर्किल-10,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सैक्टर-6, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर।

27.6.19

पत्रांक : 2232/ सिनिखगा

दिनांक : 27/06/19

विषय:- नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकासाधीन
सैक्टर-144, 145, 146, 147, 148 व 148ए के सामने बरसाती पानी को हिण्डन नदी में
प्रवाहित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 1509/सिनिखगा दिनांक 07.05.2019
आपका पत्रांक नौएडा/वोप्रो(वोरा0-10)/2019/2122 दिनांक 10.06.2019 =
नौएडा/वोप्रो(वोरा0-10)/2019/1685 दिनांक 28.02.2019

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के सम्बन्धित संदर्भित विषयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट
करें, जिसके माध्यम से आपको पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है कि आपके द्वारा नाले
में स्ट्रॉम वाटर का प्रवाह होना बताया गया है। इसलिय नाले के स्ट्रॉम वाटर को हिण्डन
नदी में गिराया जा सकता है। परन्तु भविष्य में यदि नाले में गंदा/दूषित प्रवाहित किया
जाएगा तब तो उसी हिण्डन नदी में नहीं गिराया जा सकता है। इसलिय सिंचाई विभाग ने
प्रभावी नियन्त्रण हेतु उक्त रेगुलेटर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया है। अन्य विकल्प के
द्वारा दूषित पानी को नदी में गिरने से नहीं रोका जा सकता है। दूषित पानी नदी में गिराने
से गा0 एन0जी0टी0 में वाद दायर हो सकता है। इसलिय प्रभावी नियन्त्रण हेतु उक्त रेगुलेटर
का निर्माण कार्य ही अति आवश्यक है। अन्य किसी भी विकल्प द्वारा भविष्य में होने वाली
सम्भावना पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं होगा।

27.6.19
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : 2232/ सिनिखगा दिनांक : 27/06/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ओखला, नई दिल्ली।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
3. सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

27.6.19
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Annexure R-7(Colly)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, सैक्टर-6, नौएडा

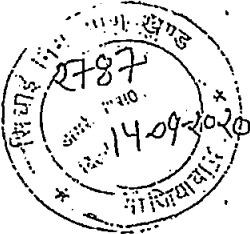
पत्रांक: नौएडा/व.प्र.(व.स.-10)/2020/4016.
दिनांक: 09-9-2020अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
(थाना कविनगर के सामने), उत्तर प्रदेश

विषय:- सैक्टर-144 से सैक्टर-148ए के सामने बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु रेगुलेटर निर्माण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० 2233/सिनिखगा दिनांक 27.06.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि:-

"भविष्य में यदि नाले में गंदा/दूषित प्रवाहित किया जाता है तो उसे हिण्डन नदी में नहीं गिराया जा सकता है। इसलिये सिंचाई विभाग ने प्रभावी नियन्त्रण हेतु उक्त रेगुलेटर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया है"

उपरोक्त के क्रम अवगत कराने का कष्ट करें कि रेगुलेटर का Function क्या है, क्या उससे गन्दा पानी नदी में गिरने से रोका जा सकता है। कृपया उक्त वांछित सूचना यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



✓ रजिस्ट्रार
श्री/श्रीमती/कु...
संस्थापक/संस्थापिका/संस्थापक/संस्थापिका

अधीनस्थ

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडा

पत्रांक ! - 2369

प्रतिश्री/प्रतिश्रीमती/प्रतिश्रीमती/प्रतिश्रीमती
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
आपका उत्तर प्राप्त हुआ है।
आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि आपकी सूचना प्राप्त हुई है।
आपकी सूचना के अनुसार मैंने आवश्यक कार्यवाही कर दी है।
आपकी सूचना के अनुसार मैंने आवश्यक कार्यवाही कर दी है।

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्रीनगर, गाजियाबाद

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, नौएडा

पत्रांक नौएडा/वरिष्ठप्रब0(व0स0-10)/49/..... 53.27

दिनांक 29-10-2020

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्रीनगर, गाजियाबाद,
(थाना कविनगर के सामने), उ0प्र0

विषय : नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे के बांयी ओर स्थित बरसाती नाले के पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्मित बंध पर रेगुलेटर बनाते हुए डूबक्षेत्र में बरसाती नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्य को कराये जाने के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु पत्रावली मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया को प्रेषित की गई थी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा प्रश्नगत कार्य की अनुमानित लागत एवं तात्कालिकता आवश्यकता के सम्बन्ध में आख्या की वांछना की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य की अनुमानित लागत एवं तात्कालिकता आवश्यकता के सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सकें।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडा

प्रतिलिपि :

1. प्रबन्धक (ए), वर्क सर्किल-10।
2. श्री नेम सिंह, अवर अभियन्ता।

A.B. Singh
ले

चन्दु सचदेवा हाजीर
श्री/श्रीमती
वर्क सर्किल-10, नौएडा
05/11/2020

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडा

कार्यालय अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद

पत्रांक - 2968

निर्देशा 11

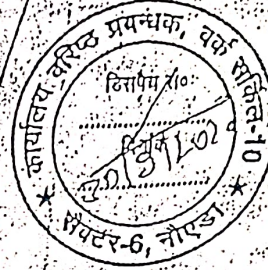
05/11/20

प्रति लिए सहायक अभियन्ता
है कि आप प्रमाण की प्राप्ति के बाद इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यकता के अनुसार आख्या प्रकाशित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
गाजियाबाद

अधिरासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
प्रेषित,

परिष्ठा प्रबन्धक,
वर्क सर्किल-10,
नौएछा विकास प्राधिकरण, नौएछा
गौतमबुद्ध नगर।



पत्रांक : 2553/ सिनिखगा

दिनांक : 30/09/2020

विषय:- जनपद गौतमबुद्ध नगर में छिड़न यगुना दोआब बन्ध के किमी 12.000 पर रेगुलेटर बनाने के कार्य का प्रावकलन डी0एस0आर0-2018 के आधार पर बनाकर प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि दिनांक 04.09.2020 को महाप्रबन्धक, नौएछा विकास प्राधिकरण, नौएछा के कार्यालय में हुई बैठक में लिये नये निर्णय के क्रम में महाप्रबन्धक नौएछा विकास प्राधिकरण, नौएछा की वाञ्छानुसार पूर्व में प्रेषित रेगुलेटर बनाने के प्रावकलन को डी0एस0आर0-2018 पर संशोधन कर घनराशि रु0 2525.67 लाख का बनाकर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि रेगुलेटर बनाने के लिये कार्यवाही कर सूचित करने का कष्ट करे।
सलंगनक:- उपरोक्तानुसार।

अधिरासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक : 2553/ सिनिखगा दिनांक : 30/09/2020

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।
1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नौएछा विकास प्राधिकरण, नौएछा, गौतमबुद्ध नगर।
 2. सहायक अभियन्ता उपखण्ड-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

अधिरासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

राजस्थान

5

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
वर्क सर्किल-10,
नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक : 840 / सिनिखगा / प्रा.अनु.रेगुलेटर

दिनांक : 20/04/2023

विषय:- नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सेक्टर 150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत कार्य हेतु एक परियोजना इस खण्ड द्वारा आपको प्रेषित की गयी थी। वर्तमान में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ. प्र. लखनऊ के पत्रांक 419/मु.अ. (ज.सं) अनिम-1/अनिख-3, लखनऊ, दिनांक 12.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए. -1002/2018, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित निर्देश निम्नवत हैं--

29. i) CPCB may issue appropriate directions to all PCBs / PCCs within two months, to give effect to section 24 of the Water Act, to the effect that Canals, water bodies (lentic or lotic) and the Natural Storm water drains are not to be used for discharge of treated or untreated trade or sewage effluents. The storm water drains, canals and water bodies need to be geo tagged and given UID. In any case, no consent be given for discharging effluents not meeting BOD 28'criteria of Class "B". Drains built exclusively as conveyance system (open sewer) must terminate to STPs.

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त नाले के पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

संलग्नक: मुख्य अभियन्ता पत्र मा. एन.जी.टी. आदेश के साथ।

अधिकासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : / सिनिखगा / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
2. सहायक अभियन्ता, उपखण्ड-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

50-400 (R)

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडाअधिकासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबंधक,
वर्क सर्किल-10, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: 2282 / सिनिखगा0 / प्रा0अनु0रेगुलेटर /

दिनांक: 09/10/23

विषय: नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा द्वारा विकसित सैक्टर-148 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु हैड रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक नोएडा/व0प्र0 (व0स0-10)/2018/1080 दिनांक 12.10.2018 एवं आपका पत्रांक नोएडा/व0प्र0 (व0स0-10)/2023/3407 दिनांक 26.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि सैक्टर-148 पर प्रस्तावित हैड रेगुलेटर के निर्माण हेतु दिनांक 04.10.2023 को कार्यस्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

1. श्री श्रीपाल भाटी, डी0जी0एम0 (सिविल), नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
2. श्री आर0पी0सिंह, डी0जी0एम0 (जल), नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
3. श्री के0बी0 सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
4. श्री सुरेश कुमार, सहायक प्रबंधक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
5. श्री छत्रप्रताप सिंह रावल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
6. श्री मुकेश कुमार जैन, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
7. श्री रामवीर सिंह, जूनियर इंजीनियर, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
8. श्री परवीन कुमार, जूनियर इंजीनियर, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
9. श्री विमल कुमार, जूनियर इंजीनियर, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा पूर्व में अवगत कराया गया था कि विकासाधीन सैक्टर 144, 145, 146, 147, 148 एवं 148ए में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जाना है। जिसके लिए सिंचाई विभाग से रेगुलेटर बनाने हेतु वांछना की गयी थी। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि अन्य सैक्टरों के बरसाती नालों का पानी भी इसी नाले में जोड़ा गया है, जिसके कारण नाले का डिस्चार्ज बढ़ने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त श्री आर0पी0 सिंह, डी0जी0एम0 (जल) नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि रेगुलेटर हेतु हाईड्रोलिक/न्यूमैटिक गेटों का ही प्राविधान किया जाये। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत रेगुलेटर के कार्य कराने हेतु सर्वेक्षण, डिजाईन एवं ड्राईंग हेतु धनराशि रु0 30.00 लाख एवं नालों के कास सैक्शन, एल सैक्शन तथा ले आउट प्लान के साथ ही निम्नलिखित डाटा की आवश्यकता होगी, कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर डाटा एवं धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. बरसाती नाले का अधिकतम डिस्चार्ज।
2. बरसाती नाले की वाटर डैप्थ व लेवल्स।
3. बरसाती नाले का Longitudinal Slope
4. बरसाती नाले का फी बोर्ड।
5. बरसाती नाले के डिस्चार्ज में प्रयुक्त "N" की वैल्यू।

अधिशाली अभियन्ता,

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

दिनांक:

पत्रांक: / सिनिखगा0 / प्रा0अनु0रेगुलेटर /

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को उनके पत्रांक 215/स0अ0-चतुर्थ/दिनांक 06.10.2023 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

A-n.

16.10.2023

अधिशाली अभियन्ता,

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

प्रेषक,
अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
प्रेषित,
वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल-10),
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
गौतमबुद्धनगर।



पत्रांक: 3094 / सिनिखगा0 /

दिनांक: 25.08.25

विषय: नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु रेग्युलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपकी पत्रांक-नोएडा/व0प्र0(व0स0-10)/2025/2001, दिनांक 26.05.2025।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, उक्त के क्रम में सैक्टर-150 के निकट अन्य सैक्टरों के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के लिए एक प्राक्कलन "Constrecution of head regulator and drain at km. 12.000 of Hindon Yamuna Doab Bund in District Gautambudh Nagar(Sector-150 Noida)" घनराशि रु0 2661.31 लाख का तैयार कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्य को समयबद्ध रूप से सम्पादन कराने हेतु वित्तीय/सैद्धांतिक स्वीकृति इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- प्राक्कलन की प्रति।

अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक: 3094 / सिनिखगा0 / तदिनांक: 25/8/25

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल-10), नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप महाप्रबन्धक (सिविल)

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-8, नौएडा

पत्रांक: नौएडा/उ०म०प्र०(सि०)/2025/WC-10/3008

दिनांक: 05/12/25

मुख्य अभियन्ता (यमुना)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०

ओखला, नई दिल्ली-110025

विषय:-नौएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150. से 162 तक के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है नौएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150 से 162 तक के बरसाती पानी को नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे के समानान्तर मुख्य नाले से हिण्डन नदी में सैक्टर-150 ए०टी०एस० प्रीस्टीन सोसाईटी के सामने रेगुलेटर एवं ड्रब क्षेत्र में आर०सी०सी० नाले के माध्यम से प्रवाहित किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु कुल धनराशि रु. 26.31 करोड़ का आगमन आपके द्वारा वर्क सर्किल-10 को प्रेषित किया गया था, जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति सक्षम स्तर से अपेक्षित है व पत्रावली गतिमान है।

उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना को क्रयान्वयन कराये जाने हेतु लगभग 1.5 से 2 वर्ष का समय लगना सम्भावित है। वर्तमान में निकासी न होने के कारण जगह-जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे स्थानीय निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत रेगुलेटर की परियोजना क्रियाशील होने तक जल भराव के अस्थायी निस्तारण हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक मंगलवार दिनांक 09.12.2025 को प्रातः 11.30 बजे उनके कार्यालय में आहूत की जानी है जिसमें आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें ताकि उक्त प्रकरण में तत्काल निर्णय लिया जा सके।

उप महाप्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.पी.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (ए.के.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सिंचाई निर्माण खण्ड, शास्त्री नगर, ग्याजियाबाद-201002, (थाना कविनगर के सामने), Email: ee_ledgzbb@yahoo.in
6. कार्यालय पत्रावली।

उप महाप्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, सैक्टर-6, नौएडा

पत्रांक: नौएडा/व0.प्र0.(व.स.-10)/2026/336/

दिनांक: 30/1/2026

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्री नगर, गाजियाबाद-201002
(थाना कविनगर के सामने)
Email: ee_icdgzb@yahoo.in

विषय:— नौएडा द्वारा विकसित सैक्टर-148 एवं 150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु हैड रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु आपके पत्र सं0 3094/सि0नि0ख0 दिनांक 25.08.2025 के माध्यम से वर्क सर्किल को प्रेषित आगणन धनराशि रु0 2661.31 लाख के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा दिनांक 29.01.2026 को प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रश्नगत अतिमहत्वपूर्ण परियोजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडा

प्रतिलिपि:—

- निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.पी.) महोदय के सादर सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (ए.के.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/अवर अभियन्ता वर्क सर्किल-10, नौएडा को उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में।

30.1.26
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नौएडा

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबंधक, (वर्क सर्किल-10),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सैक्टर-6, नौएडा।

पत्रांक: 616 / सिनिखगा0 /

दिनांक: 09/02/26

विषय: नौएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में
प्रवाहित करने हेतु हैड रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक नौएडा/व.प्र.(व.स.-10)/2025/2001 दिनांक 26.05.2025।

इस कार्यालय का पत्रांक 3094 / सिनिखगा दिनांक 25.08.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि सैक्टर-150 के निकट सैक्टरों के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के लिये संशोधित प्राक्कलन धनराशि रू0 3139.66 लाख इस आशय से प्रेषित है कि प्रस्तावित रेगुलेटर के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: संशोधित प्राक्कलन धनराशि रू0 3139.66 लाख


अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद

पत्रांक: / सिनिखगा0 /

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ओखला, नई दिल्ली।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
3. उप महाप्रबंधक (सिविल), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण सैक्टर-6, नौएडा।
4. सहायक अभियन्ता, चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।


अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद

प्रेषक,

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।वरिष्ठ प्रबन्धक,
वर्क सर्किल-10,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
जिला गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक :- 665 / सि०नि०ख०गा० /

दिनांक:- 13/02/2026

विषय:- सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में Construction of Head Regulator and Drain at Km. 12.000 of Hindon Yamuna Doab Bund in Distt-Gautambudh Nagar (Sector-150 Noida) के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक -नोएडा/व०प्र०(व०स०-10)2026/3361, दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में हिण्डन नदी के दायें किनारे पर स्थित हिण्डन यमुना दोआब बंध के किमी० 12.000 पर Construction of Head Regulator and Drain at Km. 12.000 of Hindon Yamuna Doab Bund in Distt-Gautambudh Nagar (Sector-150 Noida) कार्य हेतु धनराशि रु० 3139.66 लाख के क्रियान्वयन हेतु नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर तथा अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के मध्य एम०ओ०यू० गठन हेतु एम०ओ०यू० ड्राफ्ट की वांछना की गई है।

अतः “जनपद गौतमबुद्धनगर में “Construction of Head Regulator and Drain at Km. 12.000 of Hindon Yamuna Doab Bund in Distt-Gautambudh Nagar (Sector-150 Noida) के कार्य, जिसकी स्वीकृत आगणित धनराशि रु० 3139.66 लाख (रु० इक्तीस करोड़ उन्तालीस लाख छियासठ हजार मात्र) है, का एम०ओ०यू० गठन हेतु एम०ओ०यू० ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-एम०ओ०यू० मूल रूप में।

18.02.26

अधिशाली अभियन्ता

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक :- / सि०नि०ख०गा० / दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
- 3- सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद